रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276093
SG-DL-E-09092026-276093

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199
No. 25]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 199

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

सं. 88/नियम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड V के अध्याय 6-L में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

विद्यमान अध्याय 6-L के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

भाग L

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने हेतु विरचित नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ :—**

(i) ये नियम 'दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामांकन नियम, 2026' कहलाएंगे।

(ii) इन नियमों का विस्तार नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार तक होगा।

(iii) ये नियम दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद में विधिवत पंजीकृत अधिवक्ता;

(ii) "फुल कोर्ट" से अभिप्रेत हैं उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण;

(iii) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है दिल्ली उच्च न्यायालय;

(iv) "स्थायी सचिवालय" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थापित सचिवालय; तथा

(v) "महानिबंधक" से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के महानिबंधक।

3. **स्थायी सचिवालय :—**

(i) एक स्थायी सचिवालय होगा, जिसके प्रमुख निबंधक स्तर के अधिकारी होंगे।

(ii) मुख्य न्यायाधीश स्थायी सचिवालय के संचालन के संबंध में समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे जो आवश्यक समझे जाएं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनामांकन से संबंधित आवश्यक डाटा और जानकारियों को एकत्र, संकलित और प्रस्तुत करने की रीति तथा स्रोत शामिल हैं।

(iii) स्थायी सचिवालय वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित होने हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित करके वर्ष में कम से कम एक बार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(iv) अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

(v) आवेदकों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कम से कम इक्कीस (21) दिनों का समय दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन के इच्छुक अधिवक्ता को इन नियमों के साथ **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न प्रारूप में आवेदन करना होगा।

4. **पात्रता शर्तें :—**

कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह—

(i) अधिवक्ता के रूप में बार में कम से कम 10 वर्षों से वकालत न कर रहा हो;

(ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित विधिज्ञ परिषद में नामांकित न हो;

(iii) मुख्य रूप से उच्च न्यायालय, विचारण एवं जिला न्यायालयों अथवा विशिष्ट अधिकरणों में वकालत न कर रहा हो; तथा

(iv) 40 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, जब तक कि फुल कोर्ट द्वारा आयु सीमा में छूट न दी गई हो।

स्पष्टीकरण : एक वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव संबंधी पात्रता शर्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के उन भूतपूर्व अधिकारियों पर लागू नहीं होगी, जिनके पास दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारी के रूप में और/या बार में वकालत का कम से कम 10 वर्षों का संचयी अनुभव है।

5. **पक्ष-प्रचार** :— वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु किसी नामिती द्वारा किया गया पक्ष-प्रचार उसे पदनामित किए जाने के लिए अयोग्य कर देगा।

6. **किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने की प्रक्रिया :—** फुल कोर्ट द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने पर विचार या तो (क) स्वप्रेरणा से, अथवा (ख) अधिवक्ता के आवेदन पर किया जा सकता है।

(क) **स्वप्रेरणा से प्रक्रिया :**

एक अधिवक्ता, जो एतद्पूर्व विहित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, उस पर, उसकी सहमति के अध्यधीन, फुल कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किए जाने हेतु स्वप्रेरणा से विचार किया जा सकता है।

(ख) **अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्रक्रिया :**

कोई भी अधिवक्ता जो एतद्पूर्व विहित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, स्थायी सचिवालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में, इन नियमों के **अनुलग्नक-क** के साथ, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित हो, महानिबंधक को संबोधित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7. **स्थायी सचिवालय द्वारा डाटा संकलन :—**

(क) किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने के आवेदन प्राप्त होने पर, स्थायी सचिवालय :

(i) उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उन अधिवक्ता(ओं) के नाम(ओं) को प्रकाशित करेगा, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु आवेदन किया है, ताकि उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन के चार सप्ताह के भीतर उनके प्रस्तावित पदनामांकन पर अन्य हितधारकों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए जा सकें;

(ii) विशिष्ट अधिकरणों एवं विचारण तथा जिला न्यायालयों में वकालत करने वाले आवेदकों के मामले में, इस प्रयोजन हेतु भेजे गए अनुरोध के चार सप्ताह के भीतर प्रस्तावित पदनामांन पर क्रमशः अधिकरणों के अध्यक्षों तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से विचार आमंत्रित करेगा;

(iii) आवेदन और उप-नियम (i) तथा (ii) के अंतर्गत उन पर सुझाव/विचार प्राप्त होने पर स्थायी सचिवालय संबंधित अधिवक्ता(ओं) का एक डाटाबेस संकलित करेगा।

(ख) सेवानिवृत्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारीगण या वे जिन्होंने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में दस वर्ष की सेवा के उपरांत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु महानिबंधक को संबोधित अपने द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित सहमति-सह-व्यक्तिगत सूचना पत्र (**अनुलग्नक- क**-1) के साथ किसी भी समय एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, स्थायी सचिवालय :

(i) उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सेवानिवृत्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारी(यों) के नाम(ओं) को प्रकाशित करेगा, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामाकंन हेतु आवेदन किया है, ताकि उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ऐसे प्रकाशन के चार सप्ताह के भीतर उनके प्रस्तावित पदनामाकंन पर अन्य हितधारकों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए जा सकें।

(ii) माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से इसे फुल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

तथापि, ऐसे अनुरोध पर उस स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा यदि आवेदक(कों) ने कोई पूर्णकालिक कर्तव्यभार स्वीकार कर लिया है या स्वीकार करने की सहमति दे दी है, अथवा जब तक वे उस कर्तव्यभार को ग्रहण करे रहते हैं।

8. **फुल कोर्ट** :—

(i) स्थायी सचिवालय द्वारा सूचना के संकलन के पश्चात, पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के सभी आवेदन प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से फुल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) कुछ ऐसे गुण जिन पर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किसी आवेदक के पदनामांकन पर निर्णय लेते समय फुल कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं :

क) न्यायालयों के समक्ष मामलों का संचालन करते समय वह सदैव ईमानदार रहता/ रहती हो;

ख) न्यायाधीशों और बार के अन्य सदस्यों के साथ उसका व्यवहार सम्मानजनक हो;

ग) न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन करते समय वह शिष्टाचार बनाए रखता/रखती हो;

घ) वह सदैव पहले न्यायालय के अधिकारी के रूप में और उसके बाद अपने मुवक्किल के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता/करती हो;

ङ) वह व्यावसायिक शिष्टाचार और नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करता/करती हो;

च) वह कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता/करती हो;

छ) वह निःशुल्क विधिक कार्य करता/करती हो; तथा

ज) विधिक बिरादरी में उसका सम्मान हो।

(iii) फुल कोर्ट को अपने निर्णय(यों) के लिए कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, यद्यपि वह बार के विभिन्न वर्गों से संबंधित सदस्यों को समान अवसर प्रदान करके तथा प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करके इस प्रक्रिया को समावेशी बनाने का प्रयास करेंगे।

(iv) फुल कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन का निर्णय सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया जाएगा। तथापि, यदि किसी अधिवक्ता के पदनामांकन पर सर्वसम्मति नहीं बनती है, तो मतदान के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। किसी प्रस्तुत मामले में गुप्त मतदान होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फुल कोर्ट द्वारा किया जाएगा। मतदान की स्थिति में, फुल कोर्ट का निर्णय मतदान करने वाले न्यायाधीशों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा।

(v) फुल कोर्ट का अंतिम निर्णय व्यक्तिगत रूप से सभी आवेदकों को संसूचित किया जाएगा।

9. **मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं का वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन** :—

(i) फुल कोर्ट द्वारा अधिवक्ता(ओं) के नाम(ओं) के अनुमोदन पर, मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करेंगे।

(ii) महानिबंधक इस पदनामांकन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, दिल्ली विधिज्ञ परिषद, सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधकों, सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिकरणों के अध्यक्षों को अधिसूचित करेंगे।

(iii) इस संबंध में फुल कोर्ट से प्राप्त अभिलेख को स्थायी सचिवालय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए संदर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।

10. पुनर्विलोकन/पुनर्विचार :—

(i) यदि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामाकंन के प्रस्ताव पर फुल कोर्ट द्वारा अनुकूल विचार नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिवक्ता(गण) ऐसे निर्णय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु अनुशंसित किए जाने के लिए अपात्र होंगे।

(ii) संबंधित अधिवक्ता(ओं) के संबंध में फुल कोर्ट के निर्णय पर तत्पश्चात ऊपर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनर्विलोकन/पुनर्विचार किया जा सकेगा, मानो उस प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जा रहा हो।

11. पदनाम की वापसी :—

(i) यदि कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है, जो फुल कोर्ट के अनुसार संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता को पदनाम के योग्य बने रहने के अधिकार से वंचित करता है, तो फुल कोर्ट संबंधित व्यक्ति को पदनामित करने के अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उसे वापस ले सकता है। ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व फुल कोर्ट द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(ii) पदनाम वापसी की प्रक्रिया वही होगी जो नियम 8 के अंतर्गत प्रदान की गई है।

(iii) महानिबंधक पदनाम वापसी के निर्णय को उसी रीति से अधिसूचित करेंगे जैसा कि नियम 9 में प्रदान किया गया है।

12. कठिनाइयों का निवारण :—

इन नियमों के निर्वचन और/या अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित किए जाएंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा। मुख्य न्यायाधीश कठिनाइयों के निवारण हेतु सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट मामले में तात्कालिक आवश्यकतानुसार निर्देश जारी कर सकते हैं।

13. निरसन और व्यावृत्ति :—

उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 18/नियम/डीएचसी दिनांकित 14.03.2024 के माध्यम से किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित करने हेतु विरचित नियमों को एतद्वारा निरसित किया जाता है। तथापि, यह निरसन अपने आप में निरसित नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों को अमान्य नहीं करेगा।

अनुलग्नक-क

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु
आवेदन-सह-सहमति पत्र
[अधिवक्तागण हेतु]

	हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
1.	आवेदक/अधिवक्ता का नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री):
2.	जन्म तिथि :
3.	आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना की तिथि पर आयु : ________ वर्ष
4.	पूर्ण पता : (i) कार्यालय : (ii) निवास :
5.	संपर्क विवरण : (i) लैंडलाइन : (ii) मोबाइल : (iii) ई-मेल :
6.	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएं :
7.	(i) अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि, माह एवं वर्ष :
	(ii) नामांकन संख्या (नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए):
	(iii) नामांकन की तिथि से अधिसूचना की तिथि तक वकालत के वर्षों की संख्या :
8.	विधिज्ञ परिषद, जहाँ पंजीकृत हैं :
9.	विगत दस वर्षों के दौरान उन निर्णयों/अधिनिर्णयों की संख्या, जिनमें आवेदक ने बहस की है : टिप्पणी : आवेदक के विवेकानुसार अधिकतम पाँच निर्णय संलग्न किए जा सकते हैं।
10.	निःशुल्क विधिक कार्य/न्यायमित्र के रूप में कार्य :
11.	क्या आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी अधिवक्ता हैं या रहे हैं?

जन्म तिथि (item 2):

तिथि	तिथि	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

नामांकन की तिथि (item 7(i)):

तिथि	तिथि	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

12.	प्रकाशित लेख/पुस्तकें/पत्रिकाएं, विधि के क्षेत्र में अध्यापन कार्य का अनुभव, विधि विद्यालयों या विधि से संबंधित व्यावसायिक संस्थानों में प्रस्तुत अतिथि व्याख्यान :
13.	क्या आवेदक सर्वोच्च न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय/विचारण एवं जिला न्यायालय/अधिकरण के अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं? विवरण दें :
14.	वे न्यायालय जहाँ आवेदक वकालत कर रहा है (न्यायालय-वार अवधि दर्शाई जाए) :

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/विचारण एवं जिला न्यायालय/अधिकरण आदि	अवधि	
	से	तक

15.	वकालत की प्रकृति : *(यथा : सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम, वाणिज्यिक, कंपनी, सेवा आदि)*
16.	विधि की क्षेत्र-विषयगत विशेषज्ञता (जैसे, संवैधानिक विधि, आपराधिक विधि, सिविल विधि, माध्यस्थम् विधि, कॉर्पो1रेट विधि, वाणिज्यिक विधि, परिवार विधि, मानव अधिकार, जनहित याचिका, महिलाओं से संबंधित विधि) जिसमें आवेदक को विशेषज्ञता/दक्षता प्राप्त है :
17.	विगत 3 वर्षों की वार्षिक आय (आयकर रिटर्न प्रस्तुत किए जाएं) :
18.	क्या आवेदक ने पदनामांकन हेतु सर्वोच्च न्यायालय/किसी उच्च न्यायालय में कभी आवेदन किया था या किया है; यदि ऐसा है, तो आवेदन की वर्तमान स्थिति?
19.	क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई प्राथमिकी दायर की गई है; यदि ऐसा है, तो वर्तमान स्थिति दर्शाई जाए?
20.	क्या आवेदक किसी सिविल, आपराधिक या अन्य वाद में पक्षकार है? यदि ऐसा है, तो अभिकथित संलिप्तता की प्रकृति :
21.	क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद या राज्य विधिज्ञ परिषद के समक्ष आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी या लंबित है? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण :
22.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना :

	घोषणा मैं, ____________________, अधिवक्ता, एतद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किए जाने हेतु सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी जहां तक मुझे ज्ञात है और विश्वास है, सत्य एवं सही है। इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया या दबाया नहीं गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि मिथ्या/गलत जानकारी प्रस्तुत करने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने पर मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित होने हेतु अयोग्य माना जाएगा। दिनांक : ____________ [आवेदक के हस्ताक्षर]
	टिप्पणी: आवेदकों को अनुलग्नक-क भरते समय इसके साथ संलग्न निर्देशों को भली-भांति पढ़ लेना चाहिए।

अनुलग्नक-क-1

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामांकन हेतु
आवेदन-सह-सहमति पत्र
[दिल्ली के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण हेतु]

	हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
1.	आवेदक/अधिवक्ता का नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री) :
2.	जन्म तिथि : तिथि | तिथि | माह | माह | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष
3.	आवेदन प्रस्तुत करने वाली तिथि पर आयु : ________ वर्ष
4.	पूर्ण पता : (i) कार्यालय : (ii) निवास :
5.	संपर्क विवरण : (i) लैंडलाइन : (ii) मोबाइल : (iii) ई-मेल :
6.	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएं :
7.	(i) अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि, माह एवं वर्ष : तिथि | तिथि | माह | माह | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष

	(ii) नामांकन संख्या (नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए) :
	(iii) न्यायिक सेवा में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या :
8.	विधिज्ञ परिषद, जहाँ पंजीकृत हैं :
9.	क्या आवेदक सर्वोच्च न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय/विचारण एवं जिला न्यायालय/अधिकरण के अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं? विवरण दें :
10.	वकालत की प्रकृति : *(यथा: सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम, वाणिज्यिक, कंपनी, सेवा आदि)*
11.	विधि की क्षेत्र-विषयगत विशेषज्ञता (जैसे, संवैधानिक विधि, आपराधिक विधि, सिविल विधि, माध्यस्थम् विधि, कॉर्पोरेट विधि, परिवार विधि, मानव अधिकार, जनहित याचिका, महिलाओं से संबंधित विधि) जिसमें आवेदक को विशेषज्ञता/दक्षता प्राप्त है :
12.	क्या आवेदक ने पदनामांकन हेतु सर्वोच्च न्यायालय/किसी उच्च न्यायालय में कभी आवेदन किया था या किया है; यदि ऐसा है, तो आवेदन की वर्तमान स्थिति?
13.	क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई प्राथमिकी दायर की गई है; यदि ऐसा है, तो वर्तमान स्थिति दर्शाई जाए?
14.	क्या आवेदक किसी सिविल, आपराधिक या अन्य वाद में पक्षकार है? यदि ऐसा है, तो अभिकथित संलिप्तता की प्रकृति :
15.	क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद या राज्य विधिज्ञ परिषद के समक्ष आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी या लंबित है? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण:
16.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना :
	घोषणा मैं, ______________________, अधिवक्ता, एतद्द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किए जाने हेतु सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी जहां तक मुझे ज्ञात है और विश्वास है, सत्य एवं सही है। इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया या दबाया नहीं गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि मिथ्या/गलत जानकारी प्रस्तुत करने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने पर मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित होने हेतु अयोग्य माना जाएगा। दिनांक : ______________ [आवेदक के हस्ताक्षर]
	टिप्पणी: आवेदकों को अनुलग्नक-क-1 भरते समय इसके साथ संलग्न निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लेना चाहिए।

अनुलग्नक-क व क-1 को भरने हेतु पालनार्थ सामान्य निर्देश

1.	प्रत्येक आवेदन-सह-सहमति पत्र अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन, जो अनुलग्नक-क-1 के रूप में विहित प्रारूप में है, अंग्रेजी में फॉन्ट साइज (एरियल-14) में टंकित/मुद्रित होना चाहिए, जो सफ़ेद कागज़ (ए4 साइज) के दोनों ओर डबल स्पेसिंग में हो तथा जिसके शीर्ष और बाईं ओर लगभग चार सेंटीमीटर चौड़ाई का इनर मार्जिन छूटा हुआ हो।
2.	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को अनुक्रमणिका में क्रमिक रूप से संख्यांकित किया जाना चाहिए।

3.	आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ एक अनुक्रमणिका होनी चाहिए जिसमें उनका विवरण शामिल हो। (रजिस्ट्री, किसी भी स्तर पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सत्यापन हेतु समर्थक दस्तावेज मांग सकती है)।
4.	आवेदक/आवेदिका का नाम उसके नामांकन प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अनुरूप होना चाहिए। संक्षिप्त नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5.	देशी भाषा के दस्तावेजों (यदि कोई हों) का अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
6.	आवेदन की केवल एक सॉफ्ट कॉपी अनुलग्नक-क-1 के साथ, सर्चेबल मोड में, स्कैन की गई फोटो के साथ ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि एक से अधिक सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की जाती है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2026

No. 88/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High Court Rules & Orders :-

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L:

Part L

RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2) OF THE ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE

1. **Short title, extent and commencement:-**

(i) These rules shall be called ‘The High Court of Delhi Designation of Senior Advocate Rules, 2026’.

(ii) These Rules shall extend to the entire jurisdiction of the High Court of Delhi at New Delhi.

(iii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions:-** In these Rules, unless the context otherwise requires:

(i) “Advocate” means an Advocate who is duly registered with the Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;

(ii) “Full Court” means all the Judges of the High Court;

(iii) “High Court” means the High Court of Delhi;

(iv) “Permanent Secretariat” means the Secretariat established by the Chief Justice under Rule 3 of these Rules; and

(v) “Registrar General” means the Registrar General of the High Court.

3. **Permanent Secretariat:-**

(i) There shall be a Permanent Secretariat headed by an officer of the rank of Registrar.

(ii) The Chief Justice may issue such directions, from time to time as deemed necessary regarding functioning of the Permanent Secretariat, including the manner in which, and the source/s from which, the necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be collected, compiled and presented.

(iii) The Permanent Secretariat shall initiate the process for designation of Senior Advocates at least once every year by inviting applications from Advocates for designation as Senior Advocates.

(iv) The notice inviting applications from Advocates shall be published on the official website of the High Court. In addition, intimation will also be given to the Delhi High Court Bar Association.

(v) At least twenty-one days' time shall be given to applicants to submit their applications. An Advocate seeking designation as a Senior Advocate would have to apply in the format attached to these Rules as Annexure-A.

4. Eligibility Conditions:-

No person shall be eligible for being designated as Senior Advocate unless he/ she–

(i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;

(ii) is enrolled with the Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;

(iii) has been mainly practicing in the High Court, Trial and District Courts or specialized Tribunals; and

(iv) has attained the age of 40 years, unless the age limit is relaxed by the Full Court.

Explanation: The eligibility condition with regard to minimum standing as a practicing Advocate shall not apply to former Delhi Higher Judicial Service Officers who have not less 10 years cumulative experience as Delhi High Judicial Service Officers and/or practice at the Bar to their credit.

5. Canvassing:- Canvassing by a nominee for designation as a Senior Advocate shall disqualify him for being so designated.

6. Procedure for designation of an Advocate as Senior Advocate:- An advocate may be considered by the Full Court for being designated as Senior Advocate either (A) *suo motu,* or (B) on an application by the advocate.

(A) Procedure *Suo Motu*:

An Advocate, who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may be considered *suo motu* by the Full Court for being designated as a Senior Advocate, subject to his/ her consent.

(B) Procedure on application by an Advocate:

Any Advocate who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may submit an application along with Annexure-A to these Rules duly filled in and signed by the Advocate concerned addressed to the Registrar General, in pursuance to the notice inviting application by the Permanent Secretariat for being designated as Senior Advocate.

7. Compilation of Data by the Permanent Secretariat:-

(A) On receipt of the applications for designation of an Advocate as Senior Advocate, the Permanent Secretariat shall:-

(i) Publish on the official website of the High Court the name(s) of the Advocate(s) who have applied for designation as Senior Advocate for inviting suggestions/views of other stakeholders on his/ her proposed designation within four weeks of such publication on the website of the High Court;

(ii) In case of applicants practicing in the specialized Tribunals and the Trial and District Courts, views of the Chairpersons of the Tribunals and Principal District and Sessions Judges respectively to the proposed designation may be invited within four weeks of the request sent for the said purpose;

(iii) On receipt of applications and suggestions/ views thereon under sub-rules (i) and (ii), the Permanent Secretariat shall compile a database of the Advocate(s) concerned.

(B) Retired Delhi Higher Judicial Service Officers or those who have voluntarily retired after ten years of service in Delhi Higher Judicial Service may at any time submit a letter of request with consent-cum-personal information sheet (**Annexure- A-1**) duly filled in and signed by him/her addressed to the Registrar General for designation as Senior Advocate. On receipt of the letter of request, the Permanent Secretariat shall:-

(i) Publish on the official website of the High Court the name(s) of the Retired Delhi Higher Judicial Service Officer(s) who have applied for designation as Senior Advocate for inviting suggestions/views of other stakeholders on his/ her proposed designation within four weeks of such publication on the website of the High Court.

(ii) Place the same before the Full Court with the approval of Hon'ble the Chief Justice.

However, such request shall not be considered in case the applicant(s) has/have accepted or consented to accept any full time assignment or as long as they hold that assignment.

8. Full Court:-

(i) After the collection of information by the Permanent Secretariat, all the applications of the candidates found to be eligible along with relevant documents will be submitted to the Full Court with the approval of Hon'ble the Chief Justice.

(ii) Some of the qualities which the Full Court may consider while arriving at a decision on designation of an applicant as a Senior Advocate are:

a) He/she is always fair while conducting cases before the Courts;

b) His/ her behaviour with the Judges and other members of the Bar is respectful;

c) He/she maintains decorum while conducting cases before the Court;

d) He/she always acts first as an officer of the Court and, thereafter, a mouthpiece of his/her client;

e) He/she follows the highest standards of professional etiquette and ethics;

f) He/she acts as a mentor to the junior Advocates;

g) He/she does *pro bono* work; and

h) He/she carries respect in the legal fraternity.

(iii) The Full Court shall not be required to record reasons for its decision(s), though it may endeavour to make the process inclusive by giving equal opportunity to all members of the Bar who belong to different classes and by encouraging first generation Advocates.

(iv) An endeavor shall be made by the Full Court to arrive at a decision on designation as Senior Advocate by consensus. However, if consensus on designation of an Advocate is not arrived at, the decision may be made on the basis of voting. Whether in a given case, there should be secret ballot would be decided by the Full Court considering the facts and circumstances of the given case. In the event of voting, decision of the Full Court will be carried by a two-third majority of the Judges who have voted.

(v) The final decision of the Full Court shall be communicated individually to all the applicants.

9. Designation of Advocates as Senior Advocates by the Chief Justice:-

(i) On the approval of the name of the Advocate(s) by the Full Court, the Chief Justice shall designate such an Advocate as a Senior Advocate under Section 16 (2) of the Advocates' Act, 1961.

(ii) The Registrar General shall notify the designation to the Secretary General of the Supreme Court of India, Bar Council of India, Bar Council of Delhi, the Registrar General of all High Courts, all Principal District and Sessions Judges and Chairpersons of Tribunals under the jurisdiction of the High Court.

(iii) The record received from the Full Court in this regard shall be maintained by the Permanent Secretariat for reference for a period of five years.

10. Review/Reconsideration:-

(i) If a proposal for designation as Senior Advocate is not favourably considered by the Full Court, the Advocate(s) concerned would be ineligible for being recommended for designation as a Senior Advocate for a period of two years from the date of such decision.

(ii) The decision of the Full Court in respect of the Advocate (s) concerned may thereafter be reviewed /reconsidered by following the procedure prescribed above, as if the proposal is being considered afresh.

11. Recall of Designation:-

(i) In the event a Senior Advocate is guilty of conduct which according to the Full Court disentitles the Senior Advocate concerned to continue to be worthy of the designation, the Full Court may review its decision to designate the concerned person and recall the same. The Full Court would give an opportunity of hearing before any such action is taken.

(ii) The procedure for recall shall be the same as provided under Rule 8.

(iii) The Registrar General shall notify the decision of recall in the same manner as provided for in Rule 9.

12. Removal of Difficulties:-

All questions relating to interpretation and/or application of these rules shall be referred to the Chief Justice whose decision shall be final. The Chief Justice may issue directions for the removal of difficulties either in general terms or in a particular instance as the exigencies may require.

13. Repeal and Saving:-

The Rules framed by the High Court vide Notification No.18/Rules/DHC dated 14.03.2024 for designating an Advocate as Senior Advocate are hereby repealed. However, this repeal shall not, by itself, invalidate the actions taken under the repealed rules.

ANNEXURE-A

APPLICATION-CUM-CONSENT LETTER

FOR DESIGNATION AS SENIOR ADVOCATE

[FOR ADVOCATES]

	Recent Passport size colour photograph
1.	Name of the Applicant/Advocate (Dr./Mr./Mrs./Ms.):
2.	Date of Birth: D D M M Y Y Y Y
3.	Age on the date of notification inviting Applications: ____Years
4.	Address in full: (i) Office: (ii) Residence:
5.	Contact Details: (i) Landline: (ii) Mobile: (iii) E-mail:

6.	Educational/Professional Qualifications:
7.	(i) Date, Month and Year of Enrolment as an Advocate: D | D | M | M | Y | Y | Y | Y
	(ii) Enrolment Number (Copy of Enrolment Certificate to be attached):
	(iii) Number of years of practice from the date of Enrolment upto the date of notification:
8.	Bar Council, where registered:
9.	Number of judgments/awards in which the applicant has advanced arguments during the previous ten years: Note: Maximum five judgments best to the wisdom of the applicant may be annexed.
10.	Pro bono/amicus curiae work:
11.	Whether the parents or grand-parents of the applicant are or have been lawyers?
12.	Articles/books/journals published, experience of teaching assignments in the field of law, guest lectures delivered in law schools or professional institutions connected with law.
13.	Whether the applicant is a member of the Supreme Court/Delhi High Court/Trial and District Court/Tribunal Bar Association? Please specify.

14.	Courts where the applicant is practicing (Court-wise period may be indicated):
15.	Nature of practice: (e.g. Civil, Criminal, Constitutional, Taxation, Labour, Commercial, Company, Service, etc.)
16.	Field of Law-domain expertise (such as, Constitutional law, Criminal law, Civil law, Arbitration law, Corporate law, Commercial law, Family law, Human Rights, Public Interest Litigation, law relating to women) in which the applicant has specialization/ expertise:
17.	Annual Income of the previous 3 years (ITRs to be furnished):
18.	Whether the applicant had or has applied to the Supreme Court / any High Court for designation; if so, current status of application?
19.	Whether any FIR has ever been filed against the applicant; if so, current status must be indicated?
20.	Whether the applicant is a party to any civil, criminal or other litigation? If so, the nature of alleged involvement?
21.	Whether any proceedings were initiated or are pending against the applicant before Bar Council of India or State Bar Council? If so, particulars thereof:

Table under item 14:

Supreme Court/High Court(s)/Trial and District Court(s)/ Tribunal(s) etc.	Duration	
	From	To

22.	Any other relevant information:
	DECLARATION I______Advocate hereby give consent for being designated as Senior Advocate. I hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material is concealed or suppressed therefrom. I understand that furnishing of false information or suppression of any factual information would render me unfit for being designated as Senior Advocate. Date:- [Signature of the Applicant]
	Note: Applicants should read instructions attached herewith while filling up Annexure-A.

ANNEXURE-A-1

APPLICATION-CUM-CONSENT LETTER

FOR DESIGNATION AS SENIOR ADVOCATE

[FOR RETIRED JUDICIAL OFFICERS OF DELHI]

	Recent Passport size colour photograph
1.	Name of the Applicant/Advocate (Dr./Mr./Mrs./Ms.):
2.	Date of Birth:
3.	Age on the date of making the Application: ______Years

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

<table>
<tr><td>4.</td><td>Address in full:

(i) Office:

(ii) Residence:</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Contact Details:

(i) Landline:
(ii) Mobile:
(iii) E-mail:</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Educational/Professional Qualifications:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>(i) Date, Month and Year of Enrolment as an Advocate:
<table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ii) Enrolment Number (Copy of Enrolment Certificate to be attached):</td></tr>
<tr><td>(iii) Number of completed years of Judicial Service:</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Bar Council, where registered:</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Whether the applicant is a member of the Supreme Court/Delhi High Court/Trial and District Court/Tribunal Bar Association? Please specify:</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Nature of practice:
(e.g. Civil, Criminal, Constitutional, Taxation, Labour, Company, Service, etc.)</td></tr>
</table>

11.	Field of Law-domain expertise (such as, Constitutional law, Criminal law, Arbitration law, Corporate law, Family law, Human Rights, Public Interest Litigation, law relating to women) in which the applicant has specialization / expertise:
12.	Whether the applicant had or has applied to the Supreme Court / any High Court for designation; if so, current status of application?
13.	Whether any FIR has ever been filed against the applicant; if so, current status must be indicated?
14.	Whether the applicant is a party to any civil, criminal or other litigation? If so, the nature of alleged involvement?
15.	Whether any proceedings were initiated or are pending against the applicant before Bar Council of India or State Bar Council? If so, particulars thereof:
16.	Any other relevant information:
	DECLARATION I______hereby give consent for being designated as Senior Advocate. I hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material is concealed or suppressed therefrom. I understand that furnishing of false information or suppression of any factual information would render me unfit for being designated as Senior Advocate. Date:- [Signature of the Applicant]
	Note: Applicants should read instructions attached herewith while filling up Annexure-A-1.

GENERAL INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED FOR FILLING UP ANNEXURE-A and A-1

1.	Every Application-cum-Consent Letter or the Application for providing additional information in the prescribed formats marked as Annexure-A-1 shall be made in English, typed/printed with font size (Arial-14) in double spacing on both sides of the white paper (A4 Size) with an inner margin of about four centimeters width on top and on the left side.
2.	Documents accompanying the Application should be numbered consecutively in the Index.
3.	All documents annexed to the Application should be accompanied by an Index containing the details thereof. (The Registry, at any stage, may ask for the supportive documents for verification in the light of the facts mentioned in the Application).
4.	Name of the applicant should tally with his/her name as mentioned in his/her enrolment certificate. Abbreviated name shall NOT be accepted.
5.	English translation of vernacular documents (if any) should be annexed thereto.
6.	Only one soft copy of the Application along with Annexure-A-1, in searchable mode, along with the scanned photograph should be submitted through e-mail. If more than one soft copy is submitted, the same is liable to be rejected.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.09.09 22:15:38 +05'30'